

२५-०३
९६

वकील वकील प्रवीण वक्तुलाय फरीकन
उपस्थित/अनुपस्थित/प्रेम/विपरीत
अधिकार/महोदय R.00जीएन में भरतपुर पधारण
पर है/अतः पर/पूर्व
दिनांक 20/05/26 ३

20.03.26

पत्रावली जेहा हुआ वक्तुलाय पक्षकारान' उपस्थित/उपस्थित
सं. 1, 3, 4 की और से जवाब देने से इंकार किया। अतः
उनका जवाब बन्द किया जाता है। बंद पर उममपक्ष
अधिकारतागण को सूक्त गद्य/बंद पर मनग किया।
पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिपोर्ट का माली
भांति अवलोकन किया गया। जिससे एच 3स नतीजे
पर पहुंचे हैं कि विवादित आराजी का कोई भी हिस्सा
एच बिभाजन नहीं हुआ है। अतः सहजातेदार का
प्रत्येक ईच पर कब्जा माना जाना वाजिब है।

ऐसी सूरत में अनावश्यक मुकदमा जारी नहीं
केंद्र एवं कानूनी पेचीदगीयां पैदा नहीं हो, इसके
ध्यान में रखते हुए प्रार्थनाकर्ता की अंतर्गत धारा
312 राम स्वीकार किया जाता है तथा न्यायालय
हाजा करा जारी शुदा स्थगन आदेश दिनांक 02/06/26
को हाफिसला मूलवाद पुष्ट किया जाता है।

पत्रावली फेसल शुमार होकर नंबर से कर है
तथा संलग्न मूल है।
वाद

उपस्थित अधिकारी
मुसावर (भरतपुर) राजग